वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

Annual Administrative Report

2022

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2—3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3—10
4.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालयः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	11
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	12
6.	संगठनात्मक चार्ट	13
7.	संगठनात्मक स्वरूप	14
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	15
9.	प्रकरण सांख्यिकी	16—17
10.	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	18—32
11.	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	33—40
12.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क	41
13.	वर्ष 2022 में क्रय उपकरणों की सूची	42
14.	विशेष पहल, वर्ष 2022 की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजना	43

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान निदेशालय
वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45ः न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः–

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार '' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/ उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें जोधपुर में 6, बीकानेर में 5, उदयपुर, कोटा, भरतपुर व अजमेर में 4 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 439 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 45, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 54 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 218 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2022 में 42039 अपराध प्रकरणों के 2,33,160 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2022 में कुल 1973 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में विशिष्ट फोरेंसिक क्षेत्रों में कुल 13 खण्ड है, जिनमें

अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं उपकरणों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

डी.एन.ए. खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–**हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए जीन सिक्वेंसर पर कार्य करते वैज्ञानिक

क्यूआरटी डी.एन.ए टीम – विशेष रूप से 12 वर्ष तक के अबोध बालक–बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु।

जीन सीक्वेंसर पर डीएनए एनालिसिस करती क्यूआरटी

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े–गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम–विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक–अंग, मिट्टी आदि।

(3) **उपकरणः–** ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., डिफ्रेंसियल एक्सट्रेक्सन सिस्टम, टिस्यु लाईजर, थर्मो मिक्सचर, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, क्वान्टस, प्लेटसेन्ट्रीफ्यूज, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

जैविक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य :–** वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, अन्य शारीरिक द्रव जैसे रक्त लार आदि लगे कपडे बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, सडे गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से

प्राप्त उत्तक–अंग, त्वचा, भ्रूण, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) **उपकरणः–** हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिीरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–**इंटरनेट जनित ई–कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई–बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/टेंपरिग/ डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ– सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/ प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

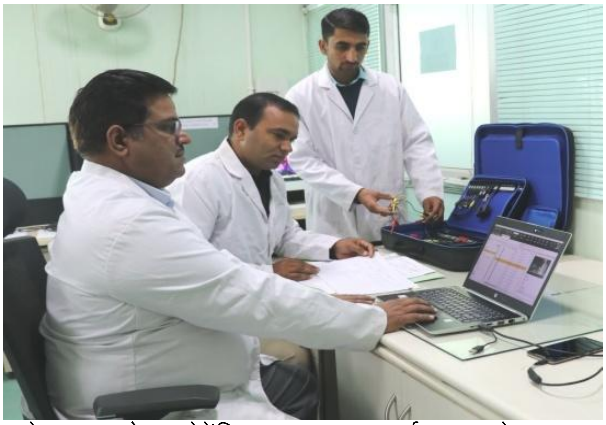

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स.आर.वाई. साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः–**साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) **उपकरणः–** कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर– एनकेस फोरेंसिक वर्जन 22, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 7.5, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर– एल्कोमसाफ्ट, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर–एक्स. आर. वाई. वर्जन 10.0, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 6.9, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 3.4 वी.डी. एक्सपर्ट विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेजिंग डिवाईस :टी.एक्स 1, फालकॉन, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

सीरम खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307, 323,

376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्यः– शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्‌टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :– माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट–पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :– मोटर कार, काँच, पेंट, धातु, मिट्टी, जूते/टायर व नंगे पांव निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़–छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/ चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

ई.डी.एक्स. उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक।

(3) उपकरणः– स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, ई.डी.एक्स कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल–4500) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट–डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना–धमकाना आदि।

EDX-8000 उपकरण पर जॉच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) **उपकरणः—** ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी—राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

अत्याधुनिक वी.एस.सी. 8000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/ फरोख्त/ हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट—छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय—विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

आधुनिक ई.एस.डी.ए. उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः—**स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 8000, रेगुला—4307, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

जी.सी.एम.एस.उपकरण पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** 1.मादक पदार्थ :— डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टसः— भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2. मनःप्रभावी पदार्थः— मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3. प्रतिबंधित रसायन :— जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड़, एन्थ्रेनेलिक एसिड,

क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) **उपकरणः—** जी.सी.एम.एस., यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायन खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

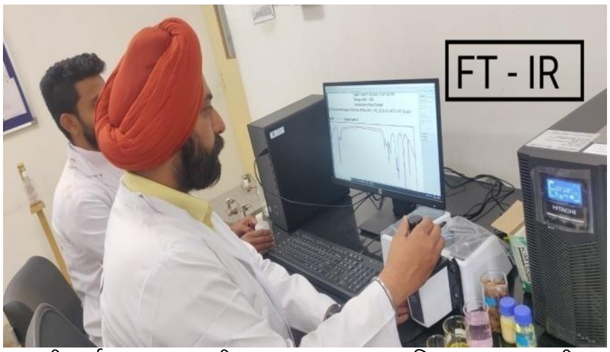

एफटीआईआर मय एटीआर उपकरण पर निश्चयात्मक परीक्षण करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) **उपकरणः—**गैस क्रोमेटोग्राफ, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर, एफटीआईआर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** आगजनी, दहेज हत्या 3/7 ई.सी. एक्ट 4,5 एक्सप्लोज़िव सब्सटेन्स एक्ट, धारा 498ए, 302, 307, 120बी आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** पैट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, केरासीन, इंजन ऑयल, बेस ऑयल, ट्रांस्फार्मर ऑयल, फ्युल ऑयल आदि) पैट्रोलियम साल्वेंट, बायोडीजल, जले हुए कपड़े, हेयर स्किन , जले हुए अवशेष, पीपी, माचिस अमोनियम नाइट्रेट, इमल्सन एक्सप्लोज़िव्स विस्फोट जनित अवशेष इत्यादि।

(3) **उपकरणः—** गैस क्रोमेटोग्राफ, गैसोलीन एनालाइजर, डीजल एनालाइजर,, Abel's, PMCC एवं COC फ्लेश पाइंट उपकरण, डिजिटल बैलेंस आदि।

गैसोलिन ऐनालाईजर पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

विष खण्ड के नवर्निमित उपकरण कक्ष में कार्य करते हुए वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं इत्यादि।

(3) **उपकरणः—** यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटो मीटर, एफ. टी. आई. आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ—मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप एवं एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर आदि।

रासायनिक परीक्षण करते हुये वैज्ञानिक

फोटो खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** अपराध प्रदर्शन / घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो—मिलान, अध्यारोपण आदि।

फोटोग्राफ का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** धोखाधड़ी, जमीन—जायदाद / स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) **उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः—** एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

पॉलीग्राफ खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) **उपकरणः—** कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2022 में 954 न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक वैज्ञानिकों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

न्यायिक अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

आर.पी.एस. प्रशिक्षुओं को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए

हिमाचल राज्य के छात्रों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए

बी.एस.एफ. अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसि़व एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वे, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यो की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं। साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 मोबाईल यूनिट्स के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2009 में 4 नवीन जिला मोबाईल यूनिट्स आरंभ।
13. वर्ष 2011 में जयपुर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण का कार्य प्रारम्भ।
14. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
15. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
16. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का निर्माण हुआ।
17. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
18. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
19. वर्ष 2017 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर का कार्य प्रारम्भ हुआ।
20. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
21. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
22. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
23. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारम्भ किया गया।
24. वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारम्भ हुआ।
25. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा क्षे.वि.वि.प्र. भरतपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
26. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के लिए डी.एन.ए खण्ड के विस्तार हेतु रुपये 372.5 लाख राशि तथा साईबर खण्ड के नवीन भवन हेतु रुपये 486 लाख राशि स्वीकृत की गई। जिनके भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

नोटः—राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में क्षे.वि.वि.प्र. उदयपुर के जैविक खण्ड को दिनांक 15.12.2022 को क्षे.वि.वि.प्र. अजमेर में अस्थाई रूप से शिफ्ट किया गया।

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31—12—2022 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार हैः—

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	संवर्ग	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	144	79	65
2.	तकनीकी कर्मचारी	295	142	153
	कुल योग	**439**	**221**	**218**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	—
2.	अतिरिक्त निदेशक	07	05	02
3.	उप निदेशक	11	01	10
4.	सहायक निदेशक	39	32	07
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	86	40	46
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	27	16
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	96	47	49
8.	तकनीकी सहायक	01	—	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	78	51	27
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	17	60
	कुल योग	**439**	**221**	**218**

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	—
2.	सहायक लेखाधिकारी—I	01	01	—
3.	सहायक लेखाधिकारी—II	01	01	—
4.	कनिष्ठ लेखाकार	07	05	02
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02	01	01
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	—
8.	निजी सहायक	01	01	—
9.	शीघ्रलिपिक	02	02	—
10.	वरिष्ठ सहायक	08	08	—
11.	कनिष्ठ सहायक	16	16	—
12.	दफ्तरी	01	01	—
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	16	04
14.	स्वीपर	06	05	01
15.	विसरा कटर	01	—	01
16.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	07	02
17.	कानि0 ड्राईवर	14	12	02
18.	चालक	03	—	03
	कुल योग	**99**	**83**	**16**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2022 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2022–23 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	शीर्षक	प्रावधान राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	2700.00	2700.00	2153.36	546.64
2.	यात्रा व्यय (03)	28.00	28.00	23.62	4.38
3.	चिकित्सा व्यय (04)	00.01	9.06	0.00	9.06
4.	कार्यालय व्यय (05)	90.00	130.00	111.87	18.13
5.	वाहन क्रय (06)	26.60	30.00	0.00	30.00
6.	वाहनों का संधारण (पैट्रोल/डीजल व्यय) (07)	20.00	37.00	19.99	17.01
7.	किराया रोयल्टी व्यय (09)	13.00	13.05	9.73	3.32
8.	मशीनरी एवं उपकरण व्यय (18)	1100.00	1350.00	888.21	461.79
9.	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (21)	123.00	230.00	50.19	179.81
10.	प्रशिक्षण (29)	2.00	2.00	0.71	1.29
11.	वाहन किराया (36)	5.00	1.40	0.29	1.11
12.	वर्दी व्यय (37)	1.30	1.30	1.26	0.04
13.	संविदा व्यय (41)	50.00	120.00	49.96	70.04
14.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	24.00	0.00	0.00	Nil
	कुल योग (आयोजना भिन्न)	4182.91	4651.81	3309.19	1342.62

(ब) वर्ष 2022–23 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	प्रावधान राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	वृहद निर्माण कार्य (17)	752.25	277.00	209.43	67.57
2.	मशीनरी, उपकरण, औजार इत्यादि (पुनः वैदिकरण पुलिस आधुनिकीकरण) (18)	352.00	183.50	Nil	183.50
3.	निर्भया फण्ड योजना (18)	1171.50	1171.50	456.50	715.00
4.	मैन पावर सेवा (41)	237.00	231.00	172.51	58.49
5.	नकोर्ड योजना (18) सीएसएस	37.75	37.50	Nil	37.75
	योग (आयोजना)	2550.50	1900.50	838.44	1062.31

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan
Case Statistics from 01-01-2022 to 31-12-2022

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTAL N0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2018	6412	38442	44854	34907	9947
2.	2019	9947	43434	53381	39240	14141
3.	2020	14141	39679	53820	38080	15740
4.	2021	15740	45864	61604	42078	19526
5.	2022	19526	49933	69459	42039	27266

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2022	RECEIVED CASES IN 2022	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2022
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	13778	26631	40409	20876	116787	19392
2.	Regional FSL Jodhpur	1626	8076	9702	7344	51402	2345
3.	Regional FSL Udaipur	1945	7064	9009	6065	30967	2944
4.	Regional FSL Kota	726	1796	2522	1784	8361	738
5.	Regional FSL Bikaner	587	1874	2461	1618	9536	843
6.	Regional FSL Ajmer	785	3557	4342	3513	11786	829
7.	Regional FSL Bharatpur	79	935	1014	839	4321	175
	Grand Total :	**19526**	**49933**	**69459**	**42039**	**233160**	**27266**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1973

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S.NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2022	RECEIVED CASES IN 2022	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2022
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	118	535	653	632	42116	21
2.	Chemistry Division	868	8432	9300	7599	11353	1701
3.	Arson & Explosive	158	138	296	190	520	106
4.	Narcotics Division	353	2593	2946	2410	4977	536
5.	Biology Division	60	2559	2619	2462	14108	16+141*
6.	Physics Division	248	443	691	540	3368	151
7.	Polygraph Division	4	17	21	17	52	4
8.	Cyber Forensic Division	1359	1334	2693	376	2564	2317
9.	Ballistics Division	109	360	469	356	3001	113
10.	Toxicology Division	824	2851	3675	2494	14939	1181
11.	Serology Division	5	297	302	298	1324	4
12.	DNA Division	9672	7072	16744	3502	18465	13242
	Total	13778	26631	40409	20876	116787	19392
	Photo Division	64	1908	1972	1893	1908	79

Note: - 141 cases pendency is already included in DNA (13242 cases) cases in FSL, Jaipur.

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer &Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2022	CASES RECEIVED in 2022	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2022
					CASES	EXHIBITS	
	REGIONAL FSL, JODHPUR						
1.	Documents Division	57	314	371	281	26782	90
2.	Chemistry Division	1119	5131	6250	5088	9729	1162
3.	Toxicology Division	237	1029	1266	958	7374	308
4.	Serology Division	189	256	445	393	1809	52
5.	Biology Division	24	386	410	351	4052	46+13*
6.	DNA Division	0	960	960	273	1656	687
	Total	**1626**	**8076**	**9702**	**7344**	**51402**	**2345**
	REGIONAL FSL, UDAIPUR						
1.	Documents Division	8	134	142	130	9300	12
2.	Chemistry Division	653	5220	5873	4046	11976	1827
3.	Toxicology Division	677	1078	1755	782	4540	973
4.	Serology Division	419	466	885	753	3735	132
5.	Biology Division	188	166	354	354	1416	0
	Total	**1945**	**7064**	**9009**	**6065**	**30967**	**2944**
	REGIONAL FSL, KOTA						
1.	Biology Division	5	60	65	58	108	7
2.	Physics Division	42	129	171	161	384	10
3.	Toxicology Division	373	987	1360	924	5291	436
4.	Serology Division	306	620	926	641	2578	285
	Total	**726**	**1796**	**2522**	**1784**	**8361**	**738**
	REGIONAL FSL, BIKANER						
1.	Biology Division	12	187	199	172	435	27
2.	Physics Division	164	221	385	224	720	161
3.	Ballistic Division	14	96	110	96	1091	14
4.	Toxicology Division	327	1107	1434	901	5926	533
5.	Serology Division	70	263	333	225	1364	108
	Total	**587**	**1874**	**2461**	**1618**	**9536**	**843**
	REGIONAL FSL, AJMER						
1.	Chemistry Division	401	2136	2537	2092	3389	445
2.	Toxicology Division	373	1163	1536	1181	7208	355
3.	Serology Division	11	249	260	240	1189	20
4.	Biology Division	0	9	9	0	0	9
	Total	**785**	**3557**	**4342**	**3513**	**11786**	**829**
	REGIONAL FSL, BHARATPUR						
1.	Biology Division	18	51	69	50	189	19
2.	Serology Division	9	97	106	104	359	2
3.	Physics Division	36	152	188	143	334	45
4.	Toxicology Division	16	635	651	542	3439	109
	Total	**79**	**935**	**1014**	**839**	**4321**	**175**

Note-13 cases pendency is already included in DNA (687cases) cases in RFSL, Jodhpur.

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

डी.एन.ए. एवं जैविक प्रकरणः–

1. **साढे चार वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का प्रकरणः–**
   पुलिस थाना–नरैना, जिला जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 120/21,धारा 363, 376 ए बी, 302, 201 आईपीसी व 5, 6 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक साढ़े चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर पानी में डुबोकर नृशंस हत्या करने का प्रकरण में मृतका के स्कर्ट, वेजाईनल स्वाब, स्मीयर एवं एनल स्वाब, स्मीयर पर पाये गये मानव वीर्य के डीएनए का मिलान मुल्जिम के डीएनए से पाया गया तथा मुल्जिम के चड्डा व जले हुए कपड़ों की राख पर रक्त की उपस्थिति पाई गई जिसका मिलान मृतका के डीएनए से पाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मृतका के शव को पानी से बरामद किया गया था जिससे मृतका के प्रादर्शों एवं मुल्जिम के राखनुमा जले एवं भीगे कपड़ों के अवशेष जिसे पानी से छानकर निकाला गया था से डीएनए निकालना अत्यन्त जटिल कार्य था जिसमें प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट नवाचार परीक्षण प्रक्रिया अपनाते हुए एक अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में डीएनए परीक्षण रिपोर्ट दी गई। मृतका के डूबने से हुई मृत्यु के बारे में डायटम परीक्षण द्वारा मृत्यु का कारण भी बताया गया था। उक्त जघन्य दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 3 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। जिस कारण न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपराधी को फॉसी की सजा सुनायी गई।

2. **तीन वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरणः–**
   पुलिस थाना–गंज, जिला अजमेर प्रकरण संख्या 263/21,धारा 363, 376 ए बी, आईपीसी व 7/8,5 एम/6 पोक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट के जघन्य दुष्कर्म के प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 6 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। इस कारण न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपराधी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई।

3. **छः वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरणः–**
   पुलिस थाना–दीगोद, जिला कोटा ग्रामीण प्रकरण संख्या 174/21,धारा, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट जघन्य दुष्कर्म के प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 7 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। इस कारण न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपराधी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई।

4. **सात वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरणः–**
   पुलिस थाना–महिला थाना, जिला भिवाड़ी प्रकरण संख्या 45/22,धारा, 376 ए बी, आईपीसी व 5,6 पोक्सो एक्ट जघन्य दुष्कर्म के प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 3 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। इस कारण न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपराधी को मरते दम कैद की सजा सुनायी गई।

5. **दस वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरणः–**
   पुलिस थाना–सदर, जिला डूँगरपुर प्रकरण संख्या 157/22,धारा, 363, 302, 376 ए, आईपीसी व 5,6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व जघन्य हत्या से सम्बन्धित प्रकरण के प्रादर्श एफ.एस.एल. में जुलाई, 2022 के प्रथम सप्ताह में डीएनए परीक्षण के लिए प्राप्त हुए। परीक्षण में पीड़िता के टी–शर्ट पर मिले बालों के डीएनए का मिलान मुल्जिम के डीएनए से हुआ। इसीप्रकार मुल्जिम की टी–शर्ट पर मिले खून का मिलान पीड़िता के डीएनए से हुआ। घटनास्थल की पुष्टि वहां से भिजवाये गये

सीमेंटेड पुलिया के टुकड़ों पर पीड़िता का खून मिलने से हुई। प्रकरण में वैज्ञानिको द्वारा प्रस्तुत किये गये ये महत्त्वपूर्ण व अकाट्य साक्ष्य न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सुनाई गई फांसी की सजा के आधार बने। उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 28 जून, 2022 को पूर्व सरपंच के शराबी पोते द्वारा गांव की एक बच्ची को रात में अपहरण कर नजदीकी पुलिया पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या की गई थी। जघन्य दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 4 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। जिसमें पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर द्वारा फांसी की सजा तथा 5 लाख जुर्माना का दंड दिया गया।

6. दस वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरणः–

पुलिस थाना–तखतगढ़, जिला पाली प्रकरण संख्या 12/22,धारा, 364, 376 ए बी, 302, 201 आईपीसी व 5,6 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत 10 वर्षीय बालिका को बेर खिलाने के बहाने बुलाकर खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म –हत्या करने के प्रकरण के प्रादर्श डीएनए परीक्षण हेतु को प्राप्त हुये। उक्त प्रकरण में बालिका का जख्मयुक्त शव कुएं से बरामद हुआ था। डीएनए परीक्षण में अभियुक्त से प्राप्त जींस पैण्ट, शर्ट एवं स्वेटर पर अभियुक्त के वीर्य एवं मृतका के रक्त दोनो पाये गये थे। घटनास्थल से प्राप्त शर्ट व अण्डरवियर पर भी डीएनए परीक्षण में अभियुक्त के वीर्य एवं मृतका के रक्त पाये गये थे जबकि घटनास्थल से प्राप्त लेगी पर सिर्फ मृतका के रक्त पाये गये थे। मृतका के कपडें भीगी दशा में थे जिस पर मृतका के रक्त का डीएनए प्राप्त हुआ था। कुयें के पास से लिये गये अन्य साक्ष्य मिट्टियों, लकड़ी का डंडा, ईंट, गेहूँ की बालियों पर मृतका का रक्त पाया गया। उपरोक्त साक्ष्य घटनास्थल को प्रमाणित करते हैं। एफएसएल की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त के पहने कपड़ो एवं घटनास्थल से प्राप्त कपड़ों पर अभियुक्त के वीर्य एवं मृतका के रक्त दोनों पाये गये जो अभियुक्त के प्रकरण में संलिप्तता को दर्शाता है। इस प्रकरण में क्यूआरटी द्वारा 6 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी थी। यह अकाट्य सबूत अभियुक्त को फॉसी के फंदे तक ले गया।

7. दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रकरणः–

पुलिस थाना–सिरीयारी, जिला पाली अभियोग संख्या 40/22, धारा 363, 376 आईपीसी व 3/4, 5/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्षीय लड़की के साथ स्कूल से घर आते समय सुनसान जगह पर अज्ञात आदमी दुष्कर्म कर बेहोशी की हालत मे छोड़ कर भाग गया। प्रकरण में जैविक अनुभाग द्वारा लडकी के वक्त घटना पहने कपड़े, लेगी व मेडीकल के दौरान लिये गये सेम्पल (वैजाईनल स्वाब) पर व प्रकरण में संभावित मुल्जिम के कपड़ो पर मानव वीर्य की उपस्थिती पाई गयी जिसका बाद में डी.एन.ए परीक्षण कर साबित किया कि उक्त घटना को कारित करने वाला यही मुल्जिम है, जिसको बाद में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

8. न गवाह, न साक्ष्य शव पर मिले स्वाब–सीमन और डीएनए टेस्ट बने सजा का आधारः–

पुलिस थाना– बसोली, जिला– बूंदी मुकदमा नं0 106/21, धारा– 302, 201, 376(ए), 376(3), 376(2)(एन), 376(2)(आई), 376(डीए) आईपीसी व 5जी/6(आई) (एल) (आर)/6 पोक्सो एक्ट, प्रकरण में बूंदी के काला कुंआ जंगल में 15 साल की आदिवासी किशोरी से गैंग रेप, हत्या और शव के साथ दरिंदगी की गई। नाबालिग के शरीर पर 19 जगह दांतों से काटने, नाखूनों से नोचने, घसीटने तथा पत्थर मारने के निशान मिले थे। पीड़िता के कपड़ों में मिक्स डीएनए प्रॉफाईल जनरेट हुई

जिसका मिलान आरोपियों के डीएनए से हुआ। माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई।

9. **बच्ची की मां ने बयान बदला, डीएनए के आधार पर आरोपी को 20 साल की सजाः–**

पुलिस थाना– अम्बामाता, जिला– उदयपुर मुकदमा नं0 345/19, धारा – 376 आईपीसी व 4, 6 पोक्सो एक्ट, के प्रकरण में रात 8.00 बजे 04 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उक्त प्रकरण में पीड़िता बच्ची तथा बच्ची की मां ने अपने बयान पल्ट दिये इसके बावजूद पीड़िता की फ्रॉक व अभियुक्त की चादर पर मिले डीएनए प्रॉफाईल की रिपोर्ट इस सजा का आधार बनी।

10. **जयपुर में डीएनए टेस्ट के बाद मां की गोद मिली, गलत टैगिंग से बदल गए थे नवजातः–**

पुलिस थाना– लाल कोठी, जिला– जयपुर (पूर्व)मुकदमा नं0 183/22 प्रकरण में सांगानेरी महिला चिकित्सालय में दो महिलाओं की डिलीवरी हुई थी। स्टाफ की गलती से बच्चों का टैग बदल गया। आखिरकार डीएनए टेस्ट के बाद दोनों वास्तविक माता–संतान रिपोर्ट की गई जिससे परिवारों के नवजात शिशुओं को मां की गोद नसीब हुई।

11. **नाबालिग से दुष्कर्म के एक प्रकरण में अभियुक्त को फांसी की सजाः–**

पुलिस थाना–अराई, जिला–अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण सं0 43/2021 धारा–363, 366ए, 344, 376(3) आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान एवं चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान पीड़िता एवं संदिग्ध से लिये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों का डीएनए परीक्षण किया गया। उक्त डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध की शतप्रतिशत अभियुक्त के रूप में पहचान हुई तथा फांसी की सजा सुनाई गई।

12. **नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजाः–**

पुलिस थाना–किशनगढ, जिला–अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण सं0 93/2020 धारा–363, 377 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट, 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट प्रकरण में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म (अप्राकृतिक मैथुन) का प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान एवं चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान पीड़िता एवं संदिग्ध से लिये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों का डीएनए परीक्षण किया गया। उक्त डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध की शतप्रतिशत अभियुक्त के रूप में पहचान हुई तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

13. **नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी की पहचानः–**

जयपुर जिले में पीड़िता के रिश्ते में मामा लगने वाला आरोपी उसे घूमाने बहाने ले गया तथा इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में नाबालिग पीड़िता तथा माता–पिता पक्षद्रौही हो गये लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अभियुक्त के पीड़िता के साथ संबंध बनाना साबित हुआ। जिस के आधार पर अभियुक्त को 03 लाख जुर्माना व उम्रकैद की सजा सुनाई।

14. **डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को 20 साल कैदः–**

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट में गोविंदगढ थाने के एक प्रकरण में अभियुक्त ने नाबालिग बालिका से संबंध बनाये। नाबालिग पीड़िता के दुष्कर्म से इंकार करने के बाद भी डीएनए जांच सहित मेडिकल सबूतों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

15. **ग्यारह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म प्रकरण में अभियुक्त की पहचानः–**

पुलिस थाना सिरीयारी, जिला पाली के अन्तर्गत मु.नं. 40 धारा 363, 376(बी)

आईपीसी, 5/6 पोक्सो एक्ट के प्रकरण में पीड़िता के स्वाब तथा मुल्जिम के कपड़ों पर मानव वीर्य की उपस्थिति तथा डी.एन.ए. जाँच के प्रकरण के अनुसंधान में सही दिशा प्रदान की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया।

16. अज्ञात शव की पहचान में बाल के डी.एन.ए. से दिशा निर्धारणः–

पुलिस थाना विवके विहार जिला जोधपुर सिटी (पश्चिम) मु. नं. 77/2022 के अन्तर्गत एक महिला का शव घटनास्थल पर पाया गया। दावा करने वाले माता पिता के रक्त का शव से बरामद बाल से डी.एन.ए. का मिलान नहीं हुआ। इस जाँच से पुलिस को सही दिशा व मार्गदर्शन मिला।

17. बच्चों के पैतृकता निर्धारण में डी.एन.ए. बना सहायकः–

पुलिस थाना बालोतरा, जिला बाड़मेर के मु. नं. 197/15 (68/17) के अन्तर्गत चार बच्चों के ब्लड सैम्पल से संदिग्ध पिता के डी.एन.ए. का मिलान कर सही दिशा प्रदान की गई। प्रारंभ में पिता द्वारा बच्चों को अपना नहीं बताया गया था। प्रकरण न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, बाड़मेर द्वारा जाँच हेतु भेजा गया था।

साईबर फोरेन्सिक प्रकरणः–

1. विदेशी नागरिकों को ठगने का प्रकरण :–

थाना–कांकरोली, राजसमन्द द्वारा प्रकरण 64/20 धारा 420, 419, 384ए 120 बी आई.पी.सी., 66 डी आई.टी. एक्ट अन्तर्गत विदेशी नागरिकों को फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से वी.ओ.आई.पी कॉल करने के प्रकरण में जब्त लेपटोपों की हार्ड डिस्क से विदेशी नागरिकों से सम्बंधित बैंक अकाउण्ट नम्बरों, कार्ड नम्बरों, पता आदि से सम्बंधित फाईलों की रिकवरी तथा वी.ओ.आई.पी कॉल में प्रयुक्त आईबीम सॉफ्टवेयर की डिटेल तथा उसके आई.पी. लॉग से सम्बंधित राय प्रदान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

2. महिला उत्पीड़न प्रकरण में मोबाईल के वॉलेट से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–

थाना–हरमाड़ा, जयपुर पश्चिम द्वारा प्रकरण 257/22 धारा 376, 376 (2) (एन), 323, 506 आई.पी.सी. एवं 67, 67ए आई.टी. एक्ट अन्तर्गत महिला उत्पीड़न से सम्बंधित प्रकरण में मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन से वॉल्टी एप्लीकेशन से छुपाये हुऐ पिड़ीता के साथ अश्लील तथा मारपीट के विडियो एवं फोटो को मोबाईल फोन के एन्क्रीप्टेड स्पेश से डीकोड कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों में मोबाईल से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरीः–

थाना–स्पेशल पुलिस थाना, सी.आई.डी. सुरक्षा, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/19 धारा 3, 3/9, 4(1), 5(1) ओ.एस. एक्ट 1923 के अन्तर्गत जैसलमेर आर्मी केन्ट में कार्यरत जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिये आर्मी से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तानी खूफिया एजेन्सी को शेयर करने में जवान से जब्त मोबाईल से प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य रिकवर किये गये।

4. निजी स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :–

थाना–करणी विहार, जयपुर पश्चिम द्वारा प्रकरण 85/22 धारा 354 भादस एवं 9/10 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत निजी स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की छात्रा से अश्लील व्यवहार के प्रकरण में स्कूल से जब्त डी. वी. आर. से डिलीटेड डाटा रिकवर कर प्रकरण से सम्बंधित सीसीटीवी विडियो फुटेज रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

5. रीट पेपर लीक प्रकरण में जब्त मोबाईलों से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी:–

थाना–गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर से सम्बंधित एस.ओ.जी. जयपुर के प्रकरण संख्या 402/21 धारा 420, 120 बी आई.पी.सी. व 4/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विधि विरूद्ध तरिके से परीक्षा से पुर्व अनुचित तरिके से पेपर प्राप्त कर उसकी नकल करा परीक्षा दिलाने के कृत्य संबन्धित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से उक्त प्रकरण से संबन्धित रीट पेपर के आपस में आदान प्रदान करने के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

6. महिला वार्ड पंच के बहुचर्चित आत्महत्या प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरी :–

थाना–जमवारामगढ, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा प्रकरण 348/21 धारा 376 डी, 306ए 120बी आई.पी.सी. व 3(2)(वीए), 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट व 67, 67ए आईटी एक्ट के अन्तर्गत महिला वार्ड पंच के बहुचर्चित आत्महत्या प्रकरण में बहुचर्चित प्रकरण में आरोपियों के मोबाइल से विभिन्न एप्लीकेशन के मैसेज एवं पिक्चर फाईल के आदान–प्रदान के साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

7. पोक्सो प्रकरण में मोबाईल फोनों से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी:–:–

थाना–जयसिंहपुरा खोर, जयपुर(उतर) के प्रकरण संख्या 63/2022 धारा 363, 354डी, 376 भा.द.स., व 3, 4, 11, 12 पोक्सो एक्ट तथा 67, 67बी आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत चार आरोपीयों से जब्त मोबाईल फोनों से नाबालिक पिड़िता को अश्लील मैसेज भेजने तथा अश्लील कार्य में लिप्त होने के लिए उत्प्रेरित करने सम्बंधित मैसेज तथा फोन कॉल सम्बंधित साक्ष्य की रिकवरी कर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

8. बलात्कार प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से सम्बंधित विडियो एवं फोटो की रिकवरी:–

थाना–विजय नगर, अजमेर द्वारा प्रकरण 33/2022 धारा 363, 342, 376 भा.द.स. एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत नाबालिग से बलात्कार प्रकरण में मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अश्लील फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को मोबाईल फोन से रिकोर्ड कर विवो मोबाईल में 'Hide it pro' एप्लीकेशन के माध्यम से एन्क्रीप्टेड यूजर पार्टिशन में छुपाई गई थी तथा तत्पश्चात् उक्त एप्लीकेशन को मोबाईल फोन से अनइन्सटॉल कर दिया गया। परन्तु 'Hide it pro' एप्लीकेशन के डेटाबेस से एन्क्रीप्टेड अश्लील फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को डिक्रिप्ट किया तो पाया गया की उक्त मोबाईल फोन से मुल्जिम ने अन्य महिलाओं व नाबालिक लड़की के बलात्कार के विडियो भी बनाये हुये थे। उक्त फाईलों को डिक्रिप्ट किया गया। जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

9. राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुँचाने एवं दंगे भड़काने संबंधित प्रकरण में विडीयो मे टैम्परिंग न होने से संबंधित जांचः–

थाना–कोतवाली, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण 232/2022 धारा 143, 153क, 295क, 505(2) भा.द.स. के अन्तर्गत राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने, भीलवाड़ा शहर का सौहार्द बिगाड़ने तथा दंगे भड़काने संबंधित प्रकरण में मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन से कथित समुदाय विशेष तथा पी.एफ.आई. के पदाधिकारियों द्वारा भीड़ के साथ रैली निकालने तथा नारें लगाने सम्बंधित विडियो की रिकवरी कर संबंधित विडियो मे विवादित नारों के उच्चारण की पुष्टि तथा विडियो में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होने संबधित जांच

कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

10. ब्लेकमेलिंग प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन के डाटा रिकवरीः—

थाना—मण्ड्रेला, झुंझुनू द्वारा प्रकरण 216/2021 धारा 354(क), 354डी(2), 384, 387, 34 भा.द.स. एवं 11, 12 पोक्सो एक्ट व 3(1)(आर) 3(1)(एस), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत मुल्जिम द्वारा इंस्टाग्राम विडीयो कॉल से का अश्लील विडीयो रिकार्ड कर अन्य वेबसाईट पर अपलोड कर ब्लेकमेल करने सम्बन्धित केस में जब्त मोबाईल फोन से आरोपी द्वारा बालिका का अश्लील विडियो मोबाईल से डिलिट किये जाने पर विडियो से सम्बन्धित फोटोग्राफ रिकवर कर एवं विडियो में एडिटिंग से सम्बंधित राय प्रदान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

11. दहेज सम्बंधित केस में मोबाईल फोन से साक्ष्य की रिकवरी :—

थाना— महिला थाना (जयपुर उत्तर), राजस्थान के प्रकरण संख्या 294/21 धारा 498 I, 406, 377, 420, 312, 354(ग), 342, 120बी भादस के अर्न्तगत महिला को पति व ससुराल पक्ष द्वारा, मानसिक व शारीरिक शोषण व धोखाधड़ी से प्रताड़ित करने प्रकरण में जप्त मोबाइल फोनों से फोटोग्राफ, व्हाट्स एप मैसेज व ई—मेल रिकवर कर प्रकरण में साक्ष्य प्रदान किये गये।

12. बलात्कार प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से महत्वपूर्ण एन्क्रीप्टेड डाटा की रिकवरीः—

थाना—पीपलू, टोंक, द्वारा प्रकरण 267/2020 धारा 363, 366ए, 376(2)(एन,) 323, 504, 342, 384 भा.द.स. एवं 5/6 पोक्सो एक्ट, 3(1)(एस) (डब्ल्यू)(ii), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशंसता निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पीड़िता के फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को मोबाईल की 'गैलेरी वोलेट' एप्लीकेशन के माध्यम से एन्क्रीप्टेड यूजर पार्टिशन में छुपाई गई थी। उन फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को उक्त मोबाईल फोन से रिकवर करने पश्चात् इन फाईलों के डिक्रिप्श्न हेतु डवलप की गई पायथन स्क्रीप्ट को मोबाईल फोन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में रन करवाकर उक्त फाईलों को डिक्रिप्ट किया गया। जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

13. बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में जप्त मोबाईल फोनो से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरी :—

थाना—मालपुरा, जयपुर (पूर्व) द्वारा प्रकरण 523/20 धारा 363, 366, 376(घ)(क), 384 आई.पी.सी., 3/4, 5(जी)(एल)/6, 11(5)/12, 16/17 पोक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट के अन्तर्गत बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में आरोपियों के मोबाइल से प्रकरण से सम्बंधित अश्लील फोटो को रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

14. एन.डी.पी.एस. प्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः—

थाना—डांगियावास, जोधपुर पूर्व द्वारा प्रकरण 42/2020 धारा 8/15 एन.डी.पी. एस एक्ट 1985 व 3/25 आर्म्स एक्ट में एनडीपीएस प्रकरण में जप्त पासवर्ड युक्त मोबाईल फोन से विभिन्न वाट्सएप सोशल मीडिया एपलिकेशन से डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

15. माननीय राजस्थान हाई कोर्ट बैंच, द्वारा प्रेषित लैपटॉप से महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकवरीः–

रजिस्ट्रार (विजिलांस) ऑफिस, राजस्थान हाई कोर्ट बैंच, जयपुर द्वारा सीधे ही प्राप्त प्रकरण में जप्त लेपटाप से साईबर लैब द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण डिजीटल साक्ष्य व मेटाडाटा जिसमें कि फाईल के सोर्स से संबंधित जानकारी, फाईल डाउनलोड व आई.पी. एड्रेस आदि की जानकारी प्रदान की गई।

16. अवैध विस्फोटक पदार्थों/उपकरणों की बरामदगी के बहुचर्चित प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरीः–

थाना–निम्बाहेडा सदर, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 150/22 धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ एक्ट, 1908 व 13, 15, 16, 18 व 20 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट 1967 के अन्तर्गत अवैध विस्फोटक पदार्थों/उपकरणों की बरामदगी के बहुचर्चित प्रकरण में आरोपियों के जप्त मोबाईल फोनों के डाटा तथा सोशल मीडिया एपलिकेशन जैसे वाट्सएप, टेलिग्राम एवं फेसबुक मैसेंजर से डाटा रिकवर करवा कर अनुसंधान में दिशा प्रदान की गई ।

रसायन, आर्सन एण्ड एक्सप्लोजिव एवं नारकोटिक्स प्रकरणः–

1. तरल पदार्थ में टालुईन की पुष्टिः–

पुलिस थाना–बिसाऊ, जिला– झुन्झुनु प्रकरण संख्या– 70/21 के अंतर्गत एक तरल पदार्थ का प्रादर्श पेट्रोल के परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ। जिसका टीएलसी, जीसी, जीसीएमएस और यूवी–स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण पर परीक्षण किया जाकर पेट्रोल की सम्भावना को नकार कर टालुईन होना बताया गया एवं पेट्रोल में काम आने वाली ऑरेंज डाई की उपस्थिति होने की भी पुष्टि की गई।

2. दुष्कर्म प्रकरण मे तैलीय पदार्थ की पुष्टिः–

पुलिस थाना–भीम, जिला–राजसमंद, प्रकरण संख्याः– 38/2022 धारा– 3/4 पोक्सो एक्ट, 376 आई.पी.सी. व 366 (क) आई.पी.सी. के अंतर्गत तीन प्रादर्श (मय कंट्रोल) प्राप्त हुए। इन प्रादर्शों का रसायनिक परीक्षण किया जाकर प्रादर्शों पर लगे तैलीय पदार्थ का कंट्रोल सैंपल के साथ मिलान की पुष्टि कर प्रकरण में निर्णयात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

3. रासायनिक विश्लेषण से पदार्थों की पुष्टिः–

पुलिस थाना–उदई मोड़, जिला सवाईमाधोपुर मुकदमा न. 76/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, के अंतर्गत भूरे व सफेद रंग का पदार्थ जब्त किया गया जिसे स्मैक होना बताया गया। उक्त प्रादर्शों का रासायनिक व उपकरण विश्लेषण करने पर एक प्रादर्श में भूरा पदार्थ स्मैक तथा एल्प्राजोलम, कैफीन तथा पैरासिटामोल का मिश्रण पाया गया तथा सफेद रंग का पदार्थ स्मैक के स्थान पर एल्युमीनियम सिलिकेट होना रिपोर्ट किया गया।

4. भिन्न पदार्थ की पुष्टिः–

पुलिस थाना–बजाज नगर जिला जयपुर शहर (पूर्व) मुकदमा न. 161/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, के अंतर्गत प्रकरण में संदिग्ध के पास सफेद रंग का पदार्थ जब्त किया गया जिसे एमडीएमए होना बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने पर वह पदार्थ मेथएमफीटामाइन व कोकीन का मिश्रण रिपोर्ट किया गया।

5. संभावित पदार्थ के स्थान पर अन्य पदार्थों की पुष्टिः–

पुलिस थाना–गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर मुकदमा न. 132/22 धारा 8/18, 8/21, 8/25 एनडीपीएस एक्ट, व 3/25 आर्मस एक्ट, के अंतर्गत प्रकरण

में संदिग्धों के पास से भूरे व सफेद रंग के पदार्थ जब्त किये गये, जिन्हें स्मैक होना बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने पर भूरा पदार्थ स्मैक तथा एल्प्राजोलम, कैफीन तथा पैरासिटामोल का मिश्रण, एक प्रादर्श में अफीम तथा सफेद रंग का पदार्थ स्मैक के स्थान पर केल्सियम हाइड्रॉक्साइड होना रिपोर्ट किया गया।

प्रलेख प्रकरणः—

1. **रीट परीक्षा—2021 के नकल गिरोह के अपराधियों की हस्तलिपि का परीक्षणः—**
थाना—गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 402/2021 के दस्तावेज एस.ओ.जी. राजस्थान, जयपुर के द्वारा परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। इस बहुचर्चित प्रकरण में रीट परीक्षा—2021 के पेपर परीक्षा से पूर्व अनुचित तरीके से प्राप्त कर व परीक्षार्थीयों को नकल कराने से सम्बन्धित गिरोह के व्यक्तियों की हस्तलिपि परीक्षण हेतु प्राप्त हुई थी। इनकी हस्तलिपियों का परीक्षण कर इन अपराधियों की प्रकरण में संलिप्पतता के सम्बन्ध में अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।

2. **आत्महत्या प्रकरणः—**
थाना—जवाजा, जिला अजमेर के प्रकरण सं. 333/2021 में एक पैंट प्राप्त हुई थी। मृतक ने पहनी हुई पैंट पर मृत्यु से पूर्व सुसाइड नोट लिखकर तत्पश्चात् पेड पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस पैंट (अपारम्परिक सतह) के अग्र भाग पर लिखी गई लिखावट का मृतक द्वारा पूर्व में रजिस्टर, पत्रों आदि पर अंकित लिखावट से परीक्षण कर मृतक की लिखावट होने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।

3. **जाली दस्तावेजों के आधार पर पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन कराने की पुष्टिः—**
थाना—ज्योतिनगर, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 237/2020 में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर अंकित हस्ताक्षरों का परीक्षण कर राय प्रदान की गई। इन दस्तावेजों के परीक्षण से आवेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों द्वारा पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

4. **चैकों की राशि में फेरबदल का परीक्षणः—**
थाना—ब्यावर सिटी, जिला अजमेर के प्रकरण सं. 510/2021 मे 02 विवादग्रस्त चैक परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। इन चैकों पर पूर्व में अंकित लिखावट व अंको के पहले लिखावट व अंक लिखकर चैकों की राशि में परिवर्तन किया गया था। अत्याधुनिक उपकरण वीएससी—8000 की सहायता से इस संबंध में परीक्षण कर इसकी पुष्टि की गई। इस प्रकरण में चैकों की लिखावट में बाद में लिखावट व अंक लिखकर 06 लाख रूपये की हेराफेरी की गई।

5. **इकरारनामा की लिखावट में परिवर्तन का परीक्षणः—**
माननीय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई.एक्ट न0 2, अजमेर से प्राप्त प्रकरण में इकरारनामा निरस्त करने की लिखावट में बाद में अन्य लिखावट लिखकर/जोडकर हेराफेरी की गई। इस इकरारनामा का अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से परीक्षण कर इस संबंध में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

6. **चिपके हुए कागज पर अंकित लिखावट का परीक्षणः—**
थाना—संजय सर्किल, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या—17/2012 में विवादग्रस्त मुख्त्यारनामा आम के प्रथम पेज पर अंकित प्रिन्टेड लेख के उपर अन्य सफेद कागज पर प्रिन्टेड लेख अंकित कर चिपका दिया गया। दस्तावेज पर से बाद में चिपकाये गये सफेद कागज को हटाये बिना इसके

नीचे पूर्व में अंकित प्रिन्टेड लेख को डिसाइफर कर प्रकरण के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

7. **लिखावट व कागज का परीक्षणः–**
थाना–कोटकासिम, जिला भिवाडी के प्रकरण संख्या 115/2022 मे दो पत्रों में लिखा सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था। इस सुसाइड नोट की लिखावट व कागज के परीक्षण हेतु मृतका की पूर्व लिखावट का रजिस्टर प्राप्त हुआ था। लिखावट व कागज परीक्षण कर सुसाइड नोट की लिखावट मृतका की होना तथा कागज रजिस्टर में से ही फाडे जाने की पुष्टि की गई।

8. **जाली करेन्सी नोटों के प्रकरणः–**
थाना–बगरू, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 39/2022 तथा थाना–फागी, जिला जयपुर ग्रामीण के प्रकरण संख्या 459/2021 में प्राप्त काले रंग के 3800 से अधिक करेन्सी नोटों व काले कागजों का परीक्षण कर उनके जाली/फर्जी करेन्सी नोट व सादा पेपर होने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी। इस प्रकार अपराधियों द्वारा काले कागज से असली नोट बनाने का झांसा देकर ठगी करने का कार्य किया जा रहा था।

9. **फर्जी ओ.एम.आर. बनाने की पुष्टिः–**
रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 16497/2021 में पूर्व सुनियोजित षडयन्त्र रच कर मूल ओएमआर सीट में सभी उत्तरों के सभी बबल्स को भरा गया। अभ्यार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ओएमआर सीट की कार्बन प्रति प्रस्तुत कर दावा किया गया कि अभ्यर्थी के उत्तर कुंजी अनुसार 140 अंक दिया जाना था लेकिन बोर्ड द्वारा मात्र तीन अंक दिये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अग्रेषित अति महत्वपूर्ण प्रकरण की जांच की जाकर अभ्यर्थी द्वारा षड़यंत्र से ओएमआर की कार्बन प्रति बनाया जाना उजागर किया।

10. **सुसाइड नोट/विवादाग्रस्त दस्तावेजों की जॉचः–**
पुलिस थाना–देचू, जिला जोधपुर ग्रामीण के प्रकरण संख्या 231/2020 में मेट के नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर तत्कालीन सरपंच पति ने राशि प्राप्त कर ली जिस बाबत दस्तावेजो का परीक्षण, कर महत्वपूर्ण राय दी गई।
पुलिस थाना–देवनगर, जिला जोधपुर (पश्चिम) के प्रकरण सख्या 386/2021 में मृतक के भाई द्वारा लिखा गया सुसाईड नोट भेजा गया जिसका परीक्षण कर महत्वपूर्ण राय दी गई।
पुलिस थाना–नया शहर, जिला बीकानेर के प्रकरण संख्या 47/2010 व पुलिस थाना सदर बीकानेर के प्रकरण संख्या 99/2011 में वकील द्वारा किये गये फर्जीवाड़े में रबर सील मोहर व हस्ताक्षर का परीक्षण कर महत्वपूर्ण राय दी गई।
पुलिस थाना–जसंवन्तपुरा, जिला जालोर के प्रकरण संख्या 87/2022 में संत रविनाथ द्वारा एक विधायक पर गंभीर आरोप सुसाईड नोट में लिखकर आत्महत्या कर ली गई। भेजे गये सुसाईड नोट का परीक्षण कर महत्वपूर्ण राय दी गई।
पुलिस थाना–शास्त्रीनगर, जिला जोधपुर पश्चिम के प्रकरण संख्या 253/2022 में छात्रा द्वारा छात्र पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए छात्र द्वारा लिखे गये विवादग्रस्त दस्तावेज (57 पत्र) का परीक्षण कर महत्वपूर्ण राय दी गई।

अस्त्रक्षेप प्रकरणः–

1. **हत्या प्रकरण में जीएसआर की जाँचः–**
थाना जुरहरा, जिला भरतपुर प्रकरण संख्या 376/2020 धारा 143,302 आई. पी. सी. के अन्तर्गत प्रकरण में स्वाब व कपडे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुए जिस पर गन शोट रेसिड्यू (GSR) सम्बन्धी

जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

2. हत्या प्रकरण में अस्त्रक्षेपीय जाँचः–
थाना– प्रताप नगर, जिला जयपुर (पूर्व) प्रकरण संख्या 563/2022 धारा 302, 3/25ए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोका, कपडे, स्वाब व बुलेट की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

3. हत्या प्रकरण :–
थाना–पुरानी टोंक, जिला टोंक प्रकरण संख्या 142/22, धारा 302, 3/25ए आर्म्स एक्ट, के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोका व बुलेट की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

4. हत्या प्रकरण में अस्त्रक्षेपीय जाँच :–
थाना– झोटवाडा, जिला जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 404/22, धारा 341ए 143ए 147ए 149ए 364ए 302ए 201 आइपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में स्वाब व बुलेट्स की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

5. पिस्टलों, कारतूस खोकों, बुलेट्स की जाँचः–
थाना– सदर, जिला बूंदी प्रकरण संख्या 571/2021, धारा 302, 457, 201, 120बी आई.पी.सी. व 3/25ए, 5/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टलों, कारतूस खोकों, कपडों व बुलेट्स की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

विष प्रकरणः–

1. चर्चित मूक–बधिर प्रकरण में त्वरित परीक्षणः–
पुलिस थाना–मालाखेड़ा, जिला अलवर, मुकदमा नम्बर 39/2022 धारा–363, 376 आईपीसी एवं 3/4, 5/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़िता के विष अनुभाग में जमा कराये गये ब्लड एवं यूरिन प्रादर्शों में दो दिवस में परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान किया।

2. पेड़ पर लटकाने के संदिग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टिः–
पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा, मुकदमा नम्बर 213/2022, धारा 302, 384, 365, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाये जाने के प्रकरण में विष अनुभाग में प्राप्त विसरा प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण उपरांत एल्यूमीनियम फास्फॉइड की उपस्थिति रिपोर्ट की गयी जिससे अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की गई।

3. ट्रेन द्वारा आत्महत्या के संदिग्ध प्रकरण में ड्रग की पुष्टिः–
पुलिस थाना प्रताप नगर, जिला जयपुर (पूर्व), मुकदमा नम्बर 591/2022, धारा 302, 201 आईपीसी के अंतर्गत मृतक के रेल्वे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में कटने के प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जमा कराये गये विसरा प्रादर्शों में परीक्षणोपरांत नशीली दवाई (बेन्जोडायजापीन ट्रैक्यूलाइजिंग ड्रग) तथा ईथाइल ऐल्कोहल की उपस्थिति रिपोर्ट की गयी जिससे अनुसंधान में मद्द मिली।

4. चिकित्सक की आत्महत्या का प्रकरणः–
पुलिस थाना– चित्रकुट, जिला – जयपुर (पश्चिम), मर्ग नम्बर 03/2022,धारा – 174 सीआरपीसी का प्रकरण चिकित्सक की आत्महत्या से संबंधित था। उक्त प्रकरण में विष अनुभाग में प्राप्त विसरा प्रादर्श व अन्य संबंधित प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण पश्चात् प्रोपोफॉल ड्रग की उपस्थिति पायी गयी।

5. चिकित्सकीय लापरवाही से बालिका की संदिग्ध मौत का प्रकरणः–

पुलिस थाना प्रताप नगर जिला जयपुर (पूर्व) मर्ग नम्बर 27/2022, धारा 174 सीआरपीसी के प्रकरण में सात वर्षीय बालिका की एक नामी हॉस्पिटल में ईलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही व हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में प्राप्त विसरा प्रादर्शों में बेन्जोडायजापीन ट्रैक्यूलाइजिंग ड्रग तथा प्रोपोफॉल ड्रग की उपस्थिति रिपोर्ट की गयी जिससे बालिका व परिजनों को न्याय मिलने में मद्द मिली।

6. पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में जहर पुष्टि की :–

पुलिस थाना–क्रिश्चयनगंज़, जिला अजमेर, प्रकरण संख्या 05/2022 धारा 304बी आईपीसी प्रकरण में मृतका की लाश पानी में तैरती हुई पाई गई। परिजनों ने मृत्यु के कारण में सन्देह जाहिर करने पर मृतका के विसरा प्रादर्शो को रासायनिकपरीक्षण के लिए विष अनुभाग में जमा करवाया गया जहां रासायनिक–परीक्षण पश्चात उक्त प्रादर्शों में एल्युमिनियम फोस्फाइड की उपस्थिति रिपोर्ट का अनुसंधान एवं प्रकरण में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया गया।

7. भूल वश जहरीले बीज खाने से :–

पुलिस थाना–सुभाषनगर, जिला भीलवाडा, धारा 176 सीआरपीसी प्रकरण में मृतका द्वारा भूल वश जहरीले बीज बादाम के बीज समझकर खाने से मृत्यु होना बताया गया। परन्तु विष अनुभाग में जमा किये गये विसरा, ब्लड सेम्पल और गेस्ट्रीक लबाज के रासायनिक परीक्षणोपरान्त जटरोपा (रतनजोत) की उपस्थिति बताई गई। जिस से अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

8. फांसी के फन्दे से मृत्यु के प्रकरण में जहर की पुष्टिः–

पुलिस थाना– खाटूबड़ी, जिला नागौर, प्रकरण संख्या 26/2022 धारा 302, 143 आईपीसी प्रकरण में नौ वर्ष के बच्चे द्वारा फांसी का फन्दा गले में लगाने से मृत होना बताया गया। विष खण्ड में प्रादर्शो में रासायनिक परीक्षण करने पर आर्गेनोफास्फोरस विष की उपस्थिति बताई गई। जिस से अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

9. पेड से गिरने से तबीयत खराब होने के प्रकरण में जहर की पुष्टिः–

पुलिस थाना–रोल, जिला नागौर, प्रकरण संख्या 05/21 धारा 174 सीआरपीसी प्रकरण में मृतक की मृत्यु पेड से गिरने से तबीयत खराब होने से मृत्यु होना बताया गया परन्तु विष अनुभाग में जमा किये गये विसरा प्रादर्शो का रासायनिक परीक्षण करने पर आर्सेनिक ऑक्साइड जहर की उपस्थिति बताई गई। जिससे पुलिस अनुसंधान को सहायता मिली।

10. फांसी के प्रकरण में जहर की उपस्थितिः–

पुलिस थाना आरजीटी, जिला बाडमेर मुकदमा संख्या 56/2021 , धारा 376(2)(एन), 376डी आईपीसी में मृतक के परिजनों द्वारा मृतक की हत्या कर शव को लटकाना बताया गया। लेकिन मृतक की गर्दन पर कोई लिगेचर मार्क नहीं पाये गये। मृतक के विसरा में कीटनाशक की उपस्थिति बताई गई जिससे प्रकरण के अनुसंधान को नई दिशा मिल सकी।

11. पशु के विसरा में जहर की उपस्थिति से प्रकरण को महत्वपूर्ण दिशाः–

पुलिस थाना–सदर, जिला–पाली मुकदमा संख्या 40/2021, धारा 302, 201, 397/34 आईपीसी में मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि मृतक को रात को खेतो की रखवाली के दौरान अज्ञात लोगो द्वारा लूट की भावना से मारकर जला दिया है। थोडी

ही दूर पर मृतक के कुत्ते की लाश भी मिली। प्रयोगशाला में मृतक की जली हुई हड्डियॉ व राख एव कुत्ते का विसरा भिजवाया गया। राख व हड्डियों के अवषेश पूर्णतया जल जाने से विश ज्ञात नहीं हो सका। किन्तु कुत्ते के विसरा में विष की उपस्थिति बताई गई। जिससे प्रकरण के अनुसंधान को नई दिशा मिली। जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में मृतक के बेटे की बहु द्वारा खाने में विष मिलाकर देना स्वीकार किया गया।

12. विसरा अवयवों में एलपीजी संघटकों की रिपोर्टः—

पुलिस थाना—कोतवाली, जिला—पाली मर्ग संख्या 13, धारा 174 सीआरपीसी में घर में 12 वर्षीय बालक की एलपीजी गैस रिसाव होने पर गैस सूंघने से मृत्यु के प्रकरण में प्रयोगशाला में भिजवाये गए विसरा अवयवों में आधुनिक उपकरणों द्वारा एलपीजी के संघटको की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की गई। विसरा अवयवों से एलपीजी गैस की जांच का संभवतया देश में पहला मामला है। विसरा अवयवों से एलपीजी गैस के संघटको का परीक्षण करने से सभी प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण कार्य की तकनीक उपलब्ध हुई है।

13. संभावित शराब पीने के प्रकरण में जहर की उपस्थिति की रिपोर्टः—

पुलिस थाना—बासनी, जिला जोधपुर पश्चिम मर्ग संख्या 28, धारा 174 सीआरपीसी के प्रकरण में मृतक के दोस्त के घर जन्मदिन पार्टी में मृतक के द्वारा अधिक शराब पीने से मौत होना बताया गया। लेकिन मृतक के विसरा में शराब के बजाय कीटनाशक की उपस्थिति पाई गई। इससे अनुसंधान को नई दिशा मिली व मर्ग मुकदमे में तब्दील हो सका तथा मुल्जिम पकडे गए।

14. हत्या के संभावित प्रकरण में जहर की उपस्थितिः—

पुलिस थाना—पचपदरा, जिला—बाडमेर मुकदमा संख्या 240, धारा 279, 304 ए आईपीसी में मृतक के भाई द्वारा आरोप लगाते हुए एक्सीडेंट से मौत होना बताया जा कर मुकदमा दर्ज करवाया गया। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर कोई चोट अंकित नहीं थी। रासायनिक परीक्षण से मृतक के विसरा में एल्युमिनियम फास्फाईड की उपस्थिति पाई गई। जिससे अनुसंधान को सही दिशा मिली व मृत्यु का कारण ज्ञात करने में सहायता प्रदान की गई।

15. विसरा में जहर की उपस्थितिः—

पुलिस थाना—नई मण्डी, जिला करौली मुकदमा संख्या 634/2022 धारा 354(ग) आई.पी.सी., पॉक्सो अधिनियम धारा 11 एवं 12 तथा आई.टी. एक्ट 66ई के अंतर्गत मृतका द्वारा आरोपी द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडीया पर अपलोड करने एवं बेइज्जती के कारण विषाक्त पदार्थ का सेवन करने की आशंका जताई गई। प्रयोगशाला में जांच पश्चात् विसरा अवयव एवं गैस्ट्रीक लेवेज नमूने में जिंक फॉस्फाइड विष की उपस्थिति प्रमाणित हुई।

16. रक्त नमूने में डोपामाइन ड्रग्स की रिपोर्टः—

पुलिस थाना—मथुरागेट, जिला भरतपुर मुकदमा सं. 576/2021 धारा 304ए आई. पी.सी. प्रकरण में मृतका की मृत्यु जनाना अस्पताल भरतपुर में इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से होने सम्बन्धी मामले में विष खण्ड़ में प्राप्त विसरा एवं रक्त नमूने में डोपामाइन ड्रग की निष्कर्षात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गई जिससे पुलिस अनुसंधान को विशिष्ट दिशा प्राप्त हुई।

17. कीटनाशक की उपस्थिति की रिपोर्टः–

पुलिस थाना–कोतवाली, जिला भरतपुर मुकदमा सं. 175/2022 धारा 302, 120 बी. आई.पी.सी. में मृतक की हत्या लिव इन रिलेशनशीप में रहने वाली नर्स के द्वारा जहर का इंजेक्शन लगाने से मृत्यु सम्बन्धी प्रकरण में प्रयोगशाला में प्राप्त विसरा नमूने में आर्गेनोफास्फोरस विष की उपस्थिति बताई गई जिससे पुलिस एवं अभियोजन पक्ष को अनुसंधान में सहायता मिली।

18. जलने से मृतक की पुष्टिः–

पुलिस थाना–चिकसाना, जिला भरतपुर मुकदमा सं. 219/2022 धारा 498ए, 304बी, 323, 302 आई.पी.सी. प्रकरण में माँ एवं पुत्र की जलनशील पदार्थ डालकर की गई दहेज हत्या प्रकरण में प्रयोगशाला में प्राप्त मृतकों के विसरा अवयवों में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति बताई गई जिससे आग लगने से कारित घृणित हत्या होने के साक्ष्य के रूप में अनुसंधान को सहायता मिली।

19. जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु की पुष्टिः–

पुलिस थाना–सदर हिण्ड़ौन, जिला करौली मर्ग सं. 08/2022 धारा 174 सी.आर.पी.सी. सम्बन्धी प्रकरण में गुमशुदा मृतक के प्रयोगशाला में प्राप्त विसरा, रक्त एवं अन्य नमूनों में मॉर्फिन एल्केलाइड की उपस्थिति पाई गई जिससे पुष्टि हुई कि मृत्यु मॉर्फिन एल्केलाइड के ओवरडोज से हुई इससे पुलिस को अनुसंधान में सहायता मिली।

20. फांसी के संदिग्ध प्रकरण में कीटनाशक की उपस्थिति की पुष्टिः–

पुलिस थाना–बाड़ी सदर, जिला धौलपुर मर्ग 13/2021 धारा 174 सी.आर.पी.सी. में मृतका द्वारा फांसी का फंदा लगाकर की गई संदिग्ध आत्महत्या प्रकरण की गहन जांच पश्चात् प्राप्त विसरा नमूने में आर्गेनोफास्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति पुष्ट हुई जिससे पुलिस अनुसंधान में मदद मिली।

भौतिक प्रकरणः–

1. बम ब्लास्ट हेतु मिले उपकरणों की टाइमर सर्किट के रूप में पहचानः–

पुलिस थाना–निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रकरण संख्या–150/2022 व एनआईए को हस्तांतरित प्रकरण धारा–4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं धारा 13, 15, 16, 18, 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अन्तर्गत अलार्म घड़ियाँ, छोटे टॉर्च बल्ब, बैटरी सेल व कुछ तार आदि से सामान्यतया टाइमर बम में प्रयुक्त टाइमर–सर्किट के बन सकने से सम्बंधित राय प्रदान की गयी जिससे प्रकरण के निस्तारण में सहायता मिली।

2. उदयपुर के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में आवाज परीक्षणः–

पुलिस थाना–धानमंडी, जिला–उदयपुर के प्रकरण संख्या–81/2022 व एनआईए को हस्तांतरित प्रकरण, धारा–452, 302, 153ए, 153बी, 295ए, 34 आईपीसी, 16, 18, 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 में राज्य के बहुचर्चित प्रकरण में वक्त घटना बनाये गये वीडियो व सोशल मीडिया पर वायरल किये गये आपतिजनक वीडियो में आरोपियों की आवाज का मिलान हेतु, टीम द्वारा माननीय न्यायलय में उपस्थित होकर उक्त आरोपियों का नमूना आवाज लिया गया तथा प्रयोगशाला में आवाज मिलान सम्बंधित परीक्षण कर राय प्रदान की गयी जिससे प्रकरण में सहायता मिली।

3. माप–तोल के उपकरणों के सत्यापन में विवादित लेड सीलों की जांचः–

विधिक माप विज्ञान, राजस्थान सरकार, के अन्तर्गत दर्ज तीन प्रकरणों के तीन फर्मों के गिलबार्को कंपनी की डिस्पेंसिंग यूनिट के दोनों सेंसर असेम्बली (पल्सरों) व मशीन के ई–केल कार्ड की बाट व माप की कैलीब्रेशन/मुद्रांकन सीलों की जांच करवाने हेतु भौतिक अनुभाग में प्राप्त

विवादित सीलों का मिलान कण्ट्रोल सीलों व पंप डाई से कर राय प्रदान की गयी जिससे प्रकरण के निस्तारण में सहायता मिली।

4. **हवालात में आत्महत्या के प्रकरण :–**
पुलिस थाना–जवाहर सर्किल, जिला–जयपुर पूर्व के रोजनामचा संख्या–25/2022, के अन्तर्गत मुकदमा संख्या–104/2022 अपराध धारा–354ए आईपीसी पोक्सो एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट में मुलजिम द्वारा हवालात के जंगले में फांसी का फन्दा लगा कर आत्महत्या के प्रकरण में भौतिक अनुभाग में प्राप्त कम्बल की किनार का भौतिक मिलान खिंची हुई होने के बावजूद हवालात में उपलब्ध कम्बल से कर राय प्रदान की गयी जिससे प्रकरण के निस्तारण में सहायता मिली।

5. **आयरन ऑर के अवैध खनन के प्रकरण :–**
पुलिस थाना–नीम का थाना सदर, जिला–सीकर के प्रकरण संख्या–444 व 445/2021 व पुलिस थाना–उदयपुरवाटी, जिला–झुंझुनू के प्रकरण संख्या–318/2021 धारा–379 आईपीसी, 4/21 एमएमडीआर एक्ट के अन्तर्गत बिना परमिट व वैध दस्तावेज के आयरन ऑर के परिवहन के प्रकरण में वाहनों से जप्त आयरन ऑर का मिलान खनन स्थल पर पाए गये आयरन ऑर से कर राय प्रदान की गयी, जिससे प्रकरण के निस्तारण में सहायता मिली।

6. **वाहनों की आपसी टक्कर व हत्या के प्रकरण में प्राप्त प्रादर्शों का परीक्षणः–**
पुलिस थाना–देवगढ , जिला–राजसमन्द के प्रकरण संख्या–42/2022, धारा–302, 120 बी, 201, 202, 203 आईपीसी के अन्तर्गत डम्पर वाहन की एल्टो कार से टक्कर के प्रकरण में घटनास्थल पर मिले कांच के टुकड़ों का वाहनों के कांच से मिलान, दोनों वाहनों पर मिले दुसरे वाहन के पेंट के कणों का आपस में मिलान कर घटनास्थल व वाहनों की आपस में टक्कर की पुष्टि की गयी जिससे प्रकरण को नई दिशा मिली।

फोटो प्रकरणः–

1. **धोखाधड़ी प्रकरण में फोटोग्राफ्स वीडियो का परीक्षणः–**
पुलिस थाना– स्पेशल पुलिस स्टेशन (एस.ओ.जी) जिला– एटीएस एवं एस.ओ.जी. राजस्थान जयपुर के प्रकरण संख्या –16/2018, धारा– 66डी, 406, 419, 420, 468, 471, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित धोखाधड़ी तरीके से नीट परीक्षा परिणाम उपरांत अनुचित तरीके से मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का प्रवेश दिलाने के कृत्य संबंधित प्रकरण में परिवादी द्वारा आरोपी की मोबाइल फोन से फोटोग्राफी व विडियोग्राफी कर संबंधित आरोपी के चेहरे का मिलान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

2. **रीट परीक्षा प्रकरण में फोटो मिलान का परीक्षणः–**
पुलिस थाना– कांकरोली, जिला–राजसमंद, प्रकरण सं.–306/2021, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी एवं 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अंतर्गत आरोपी द्वारा अपने नाम से रीट परीक्षा 2021 में आवेदन किया एवं स्वयं का फोटोग्राफ प्रवेश पत्र पर ना लगाकर किसी अन्य व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा कर अनुचित तरीके से अपने नाम के स्थान पर आधार कार्ड में अन्य व्यक्ति का फोटो लगा कर डमी व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा कर रीट परीक्षा में बैठाए जाने से उक्त प्रकरण से संबंधित मूल आरोपी व डमी व्यक्ति के विवाद ग्रस्त फोटोग्राफ्स व विवाद रहित फोटोग्राफ्स में चेहरे का मिलान संबंधी परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

3. **हत्या प्रकरण में चलने का पोज मिलान संबंधी परीक्षणः–**

पुलिस थाना– सांगानेर, जिला– जयपुर (पूर्व), प्रकरण संख्या– 526/2021, धारा– 302 आईपीसी में अपराधी एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ के सीसीटीवी फुटेज, अपराधी द्वारा दुकान से चाकू खरीदे वक्त के दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली से घूमने आई लड़की अपनी महिला फ्रेंड के सामने एक अंज्ञात व्यक्ति ने चाकू से कई वार किए और भाग गया जिसमें लड़की की हॉस्पिटल में मौत हो गई। प्रकरण में आरोपी से संबंधित समस्त सीसीटीवी फुटेज, कंट्रोल फोटो ईमेज व वीडियो ईमेजों का फोटो अनुभाग में फोटो मिलान संबंधी परीक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

4. **ब्लैकमेल एवं बलात्कार प्रकरण में चेहरे का मिलान संबंधित परीक्षण :–**

पुलिस थाना– सिविल लाईन, जिला– अजमेर, प्रकरण सं.– 95/2021, धारा– 363, 376(2)(एन), 506 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट – 2012, 67 आई.टी. एक्ट के अंतर्गत लड़की को शादी का झांसा देकर जबरन गलत काम किया व अश्लील वीडियो क्लीप बनाई जिसकी विडियो वायरल करने की धमकी व बदनाम करने की कहकर बार–बार गलत काम किया। जब मुल्जिम दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तब पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज करवाये जाने पर आरोपी का मोबाईल व पीड़िता के मूल फोटोग्राफ चेहरे संबंधी फोटो मिलान परीक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. नेशनल हाईवे पर बने नाले के पास एक खल्लासी का शव मिलने पर हत्या/दुर्घटना का खुलासा–

पुलिस थाना–बगरू, जयपुर (पश्चिम) के मुकदमा नम्बर 255/22 व धारा 302 आई.पी.सी. में नेशनल हाईवे पर बने नाले के पास एक खल्लासी का शव मिलने पर खल्लासी के परिजनों द्वारा हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। मोबाईल फोरेसिंक यूनिट जयपुर ग्रामीण द्वारा घटनास्थल व ट्रोला का निरीक्षण करने पर नाले की दीवार पर क्षतिग्रस्त रेलिंग, ट्रोले के बांयी तरफ की खिड़की व बांये हिस्से में घुसी हुई रेलिंग की स्थिति के आधार पर ट्रोले व नाले की दीवार में टक्कर होने के कारण खल्लासी के खिड़की में से बाहर निकलकर गिरने की दुर्घटना होने की सम्भावना बतायी, जिससे अनुसंधान में सहयोग मिला।

2. संदिग्ध हत्या प्रकरण में घटना का पुननिर्माणः–

पुलिस थाना– चन्दवाजी, जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 148/21 धारा 302, 201 आई.पी.सी. के क्रम में मोबाईल फोरेसिंक यूनिट जयपुर ग्रामीण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं पुननिर्माण का कार्य किया गया। मृतक के अनुमानित वजन के आधार पर डमी को दो बार अलग–अलग प्रकार से उसी स्थान से गिराया गया तथा पुनः गणना की गई, जिसमें लिगेचर (गर्दन पर बने निशान) की गांठ की दिशा, हुक से गर्दन पर बने लिगेचर के निशान आदि घटनास्थल पुनर्सरंचना के दौरान अवलोकित तथ्यों तथा मृत्योपरांत परीक्षण–कार्य करने वाले चिकित्सक तथा अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर विधि विज्ञान दल इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सफल रहा कि उपरोक्त प्रकरण में फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3. मारपीट व फायरिंग का प्रकरणः–

पुलिस थाना–खातौली, जिला–कोटा ग्रामीण, प्रकरण संख्या–06/2022, धारा–323, 307, 498ए, 406 आई.पी.सी., के अन्तर्गत रात्रि में एक महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई। प्रकरण में मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त, 3 खाली कार्ट्रिज केस, 2 बुलेट, चुड़ी के टूटे टुकडे, बुलेट हिट मार्क्स इत्यादि को खोजा गया। खेत में भी चूडी का टुकडा खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों एवं महिला के पति से बरामद हथियार के आधार पर पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट व फायरिंग करना सामने आया जिससे अनुसंधान में सहयोग किया गया।

4. हिट एवं रन केस :–

पुलिस थाना–नयापुरा, जिला–कोटा शहर प्रकरण संख्या–121/2022, धारा–304ए, 279, 337 आई.पी.सी., के अन्तर्गत एक अज्ञात कार द्वारा फुटपाथ पर सोये व्यक्तियों को टक्कर मारने की घटना हुई। इस

प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त, वाहन के प्लास्टिक पार्टस, वाहन के स्किड मार्क्स, घटनास्थल पर खडे लोडिंग ऑटो पर ताजा रगड/डेंड व पेंट इत्यादि को खोजा गया। थाना नयापुरा में घटना में प्रयुक्त संभावित कार का भी निरीक्षण किया गया। कार क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। कार पर भी रक्त की उपस्थिति मिली। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर संभावित कार द्वारा घटना कारित करना सामने आया जिससे अनुसंधान में सहयोग किया गया।

5. फायर आर्म्स द्वारा हत्याः—

पुलिस थाना—जवाहर नगर, जिला—कोटा शहर प्रकरण संख्या—139/2022, धारा—302, 143 आई.पी.सी., के अन्तर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त इत्यादि को खोजा गया। साथ ही घटनास्थल पर एक खाली कार्ट्रिज केस व परकुशन कैप मिलने से फायरआर्म्स द्वारा घटना कारित करना सामने आया जिससे अनुसंधान में सहयोग किया गया।

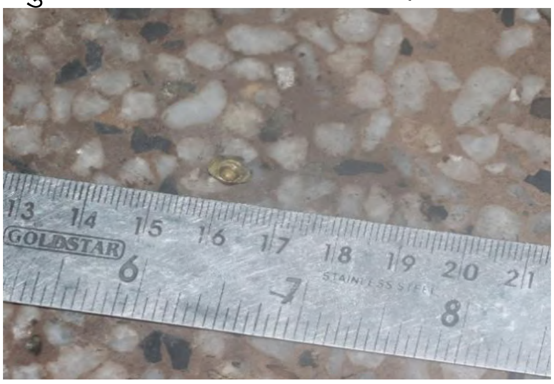

6. फायरिंग केसः—

पुलिस थाना—रामगंजमण्डी, जिला—कोटा ग्रामीण प्रकरण संख्या—374/2022, धारा—341, 307, 34 आई.पी.सी.,के अन्तर्गत रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नगरपालिका चैयरमैन की कार पर फायरिंग की गई। इस प्रकरण में मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य 3 खाली कार्ट्रिज केस को खोजा गया। कार में भी हिट मार्क्स व बुलेट को खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर फायरआर्म्स द्वारा घटना कारित करना सामने आया जिससे अनुसंधान में सहयोग किया गया।

7. गैंगरेप व हत्या का प्रकरणः—

पुलिस थाना—बसोली, जिला—बून्दी प्रकरण संख्या—106/2021, धारा—302, 201, 376(2)(I), 376(2)(एम) आई.पी.सी., 3/4 पोक्सो एक्ट,के अन्तर्गत जंगल/क्लोजर में एक किशोरी की गैंगरेप व हत्या से संबंधित घटना हुई, जिसमें रात्रि में मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बून्दी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों मृतका की चप्पलें, रक्त के स्पॉट, खून आलूदा पत्थर इत्यादि को खोजा गया तथा मृतका के गले पर लिगेचर मार्क्स की उपस्थिति के आधार पर गला घोंटकर हत्या करना बताया। घटनास्थल से परिस्थितिजनक साक्ष्यों व मुल्जिमो के पेनाइल स्वाब को डीएनए परीक्षण हेतु एफएसएल भिजवाने के निर्देश पुलिस को प्रदान कर अनुसंधान में सहयोग

किया गया। इस प्रकरण में पोक्सो कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को मृत्युदण्ड व 1.20 लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

8. हत्या प्रकरण का खुलासाः—

पुलिस थाना—कोतवाली, जिला—बून्दी प्रकरण संख्या—202/2022, धारा—302,380 आई.पी. सी., के अन्तर्गत डोबरा महादेव मन्दिर परिसर में एक व्यक्ति की हत्या होने से संबंधित सूचना मिली। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बून्दी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य रक्त, लाश को घसींटने के निशान, बटन, हथौड़ी, छैनी इत्यादि को खोजा गया। मृतक के घाव/चोटों की प्रकृति घोपने/स्टेब जैसी होने से हत्या में धारदार हथियार (चाकू) की संभावना बताई गयी। मन्दिर परिसर में कुछ बूंदे 90 डिग्री से गिरी होने के कारण वृताकार आकृति लिए हुई थी, रक्त की इन बूंदों के आधार पर आरोपी के शरीर पर भी चोट लगने की संभावना बताई गयी। जंगल में कुछ पत्थरों पर रक्त की बूंदे मिलने से अपराधी/अपराधियों के भागने के मार्ग की दिशा बताई गयी। प्रकरण के खुलासे उपरांत समस्त संभावनाएं सही पायी गई तथा अनुसंधान में काफी सहयोग मिला।

9. दुर्घटना में मृत्यु प्रकरणः—

पुलिस थाना—तालेड़ा, जिला—बून्दी प्रकरण संख्या—05/2022 धारा—279, 304ए आई.पी. सी.,के अन्तर्गत एक व्यक्ति की नाले की दीवार के पास बने गड्डे में लाश मिली। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बून्दी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे नाले के किनारे बने रास्ते पर विकट मोड, नाले में मोटरसाईकिल के टायर के निशान, मोटरसाइकिल के वायजर के टूटे पार्टस इत्यादि को खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होना सामने आया जिससे अनुसंधान में सहयोग किया गया।

10. एक ही वाहन से टक्कर प्रकरणः—

पुलिस थाना—तालेड़ा, जिला—बून्दी प्रकरण संख्या—27/2022, धारा—279, 304ए आई.पी. सी.,के अन्तर्गत एक व्यक्ति की कार एक्सीडेट में मृत्यु होने की सूचना मिली एवं पुलिस आई.ओ. द्वारा आगे व पीछे दोनो तरफ से वाहन के क्षतिग्रस्त होने से दो अलग—अलग वाहनो द्वारा दुर्घटना होने की संभावना जताई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बून्दी द्वारा कार निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कार के आगे व पीछे समान रूप से दो अलग—अलग रंग के फॉरेन पेंट को खोजा गया। इस आधार पर एक वाहन द्वारा टक्कर पश्चात कार के रोटेट होकर पुनः उसी वाहन से टकराने से कार के आगे व पीछे समान रूप से दो अलग—अलग रंग का फॉरेन पेंट मिला तथा कार की आगे व पीछे से एक ही वाहन से टक्कर होना सामने आया। प्रकरण के खुलासे के दौरान भी यही तथ्य सामने आये।

11. नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के मामलें में प्रसव स्थल की खोज व महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन :–

पुलिस थाना–सदर, जिला–बून्दी प्रकरण संख्या–573/2022, धारा–315 आई.पी.सी.,के अन्तर्गत झाड़ियों में नवजात बच्ची मिलनें के संबध में सूचना प्राप्त हुई । इस प्रकरण को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बून्दी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के दौरान घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये तथा पास में स्थित एक निजी स्कूल में जाकर देखा तो वहां पर शौचालय के दरवाजें के हत्थे, सीढियों, छत पर रक्त मिलनें तथा एक बाल्टी में रक्त इत्यादि मिलने से स्कूल में बच्ची को जन्म देने की संभावना व्यक्त की गई। बाद में एक नाबालिग द्वारा स्कूल में एक बच्ची को जन्म देने की बात कबूली गई।

12. विभिन्न स्थान पर हुई आगजनी प्रकरणः–

पुलिस थाना–बौंली, जिला सवाई माधोपुर प्रकरण संख्याः 457/22, 458/22,459/22, धाराः 435, 436 आईपीसी के अन्तर्गत तीन अलग–अलग स्थानों पर हुई आगजनी हुई जहाँ मोबाईल यूनिट सवाई माधोपुर द्वारा घटनास्थल पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों जले–अधजले मलबे व माचिस की जली तीली, कार कवर का जला–अधजला कट पीस तथा जला–अधजला टायर का कट पीस एवं घटना से संबंधित प्रादर्शों को संकलित करवाने के संबंध में तकनीकी सलाह देकर अनुसंधान में सहयोग किया गया।

13. मुक–बधिर बालिका के साथ हुये यौन दुराचार का संभावित प्रकरणः–

पुलिस थाना–मालाखेड़ा जिला अलवर मु. नं. 39/2022 धारा–363, 376 पॉक्सो 3,4,5,6 के अंर्तगत रात्री को एक मुक बधिर बालिका लहूलुहान हालत में तिजारा फाटक पुलिया पर मिली जिसके गुप्तांग से रक्त बह रहा था। मोबाईल यूनिट अलवर द्वारा उक्त रात्री को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जहां मार्ग पर पैरापेटवाल (सेफ्टीवाल) पर डामर रोड से 1.7 फिट ऊंचाई पर व सेफ्टीवाल के नीचे डामर रोड पर रक्त की उपस्थिति पाईं गई। इसके अतिरिक्त पुलिया के ऊपर अन्य किसी भी स्थान पर रक्त की उपस्थिति नहीं पाई गई बाद में जयपुर से आई विशेष टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण व कई संदिग्ध वाहनों का निरीक्षण किया गया जहां किसी भी स्थान पर (दिनांक 11/01/2022 की रात्री को मिले रक्त के धब्बों के अतिरिक्त) रक्त की उपस्थिति नहीं पाई गई। मोबाईल टीम अलवर द्वारा थाना परिसर अरावली विहार में खड़े हुए टाटा मैजिक (जिसमें बालिका का घर से आना बताया गया) का निरीक्षण किया गया तथा इस मैजिक में भी कहीं भी रक्त की उपस्थिति नहीं पाई गई। अन्य विशेषज्ञ टीम द्वारा घटनास्थल पर अपराध पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनायी गई एवं घटना के खुलासे में महत्वपूर्ण सहयोग किया।

14. एक वृद्ध व्यक्ति को टक्कर देकर मारने के प्रकरण का खुलासा :–

पुलिस थाना—–मालाखेड़ा, , जिला अलवर मु.नं. –195/2022 धारा– 143, 323, 341, 354, 307, 451, 504, 427, 279, 3(1)(र), 3(1)(एस), 3(1)(डबल्यू), 3(2)(वीए) के अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें घटनास्थल टीम को निरीक्षण हेतु बुलवाया गया। घटनास्थल मृतक के घर के सामने रोड पर बताया गया। इस डामर रोड पर गाड़ी के टायर्स के स्किड मार्क्स (पहियों के सड़क पर घर्षण से बने निशान) पाए गए जिनकी दिशायें एक से अधिक थी। दो समानांतर स्किड मार्क्स के मध्य लगभग 4.8 फिट की दूरी पाई गई। एक बोलेरो गाड़ी जो की आरोपी व्यक्ति के घर के आंगन में खड़ी हुई थी का फ्रंट विंड स्क्रीन किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्षतिग्रस्त किया हुआ पाया गया। इस बोलेरो के टायर्स के मध्य की दूरी भी लगभग 4.8 फिट के करीब पाई गई। घटनास्थल पर कई दिशाओं में पाए गए स्किड मार्क्स और रक्त की उपस्थिति कई स्थानों पर पाए जाने के कारण मोबाईल यूनिट द्वारा टक्कर मारकर हत्या की संभावना को व्यक्त किया गया जो घटना के खुलासे में महत्वपूर्ण पहलू साबित हुआ।

15. धार्मिक स्थल पर दुराचार की घटना प्रकरणः–

पुलिस थाना–मालाखेड़ा, जिला अलवर मु. नं. 371/2022 धारा– 3/4,5 एम/6, 7/8 पोक्सो एक्ट, 376 ए बी आईपीसी, 3(1)(डबल्यु), 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट के अंर्तगत गॉव रतनपुर के धार्मिक स्थल में बालिका से दुराचार की सूचना पर घटनास्थल निरीक्षण कर अहम साक्ष्य एकत्रित किए जिनमे मौके पर मिले एक फटे रूमाल के टुकड़े पर लगे धब्बों का वीर्य की उपस्थिति संबंधित प्रारम्भिक परीक्षण करने पर सकारात्मक परिणाम का मिलना अनुसंधान अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुआ।

16. हत्या कर जलाने व अधजले शव को मृत जानवर के शव से ढककर साक्ष्य मिटाने से संबंधित प्रकरण का खुलासाः–

पुलिस थाना–सदर, जिला अलवर मु. नं. 387/2022 धारा– 302,201 आईपीसी के अंतर्गत गॉव लिवारी के जंगलों में एक पुरानी घटना का निरीक्षण मोबाईल यूनिट, अलवर द्वार किया गया। घटनास्थल पर जले हुए कपड़े, अधजले बाल, अधजले कपड़े जिन पर रक्त की उपस्थिति पाई गई। एक अन्य पत्थर पर रक्त का स्पॉट पाया गया। शव को घसीटने के साक्ष्य पाए गए। घटनास्थल पर जंगली जानवरों द्वारा शव को खाने के उपरांत बची कुछ हड्डियों का डीएनए परीक्षण हेतु एकत्रित किया गया। प्रकरण के अनुसंधान में कथित लड़के के शव की कोई भौतिक पहचान नहीं होने

की स्थिति में जांच प्रारंभ में संदेहात्मक कही गई परंतु उक्त साक्ष्यों की प्रयोगशाला की डीएनए से संबंधित सकारात्मक परिणाम का मिलना अनुसंधान अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुआ।

17. एसिड टैंक विस्फोट में महत्वपूर्ण विश्लेषणः–

पुलिस थाना–गंगरार, जिला–चितौडगढ़ प्रकरण संख्या–188/2022 धारा 285, 336, 337, 338, 304ए, आईपीसी प्रकरण में चितौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्थित हिन्दुस्तान जिंक प्लांट में क्रियाशील एक एसिड़ स्टोरेज टैंक के भारी वर्षा के दौरान विस्फोट् के साथ क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप 04 श्रमिकों की एसिड से जलकर मृत्यु हो गई तथा 10 से भी ज्यादा घायल हुये। इससे जन–मानस में आक्रोश फैला और कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक हो गयी थी। विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुँच कर कन्ट्रोल रूम में घट्ना के समय दर्ज हुए सभी ऑनलाइन/ऑफलाइन इंडस्ट्रियल पेरामीटर्स का फोरेंसिक दृष्टिकोण से विश्लेषण सम्बन्धी कार्य कर यह पाया कि घट्ना के समय एसिड टैंक अपनी क्षमता से अधिक भरा हुआ था जो कि प्लांट स्वंय द्वारा ही प्रस्तुत अपनी मानक प्रक्रिया से विचलन को स्थापित करता था। अतः दुर्घटना के 24 घंटे उपरांत ही उसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या एवं कारणों के सम्बन्ध अवगत कराने से अनुसंधान की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई ।

18. वीभत्स हत्या के चर्चित प्रकरणः–

पुलिस थाना–धानमंडी, जिला–उदयपुर प्रकरण संख्या 81/22 धारा 452, 302, 153ए, 153बी, 295ए, 34 आईपीसी एवं 16, 18, 20 यूपीपीए एक्ट 1967 के अंतर्गत टेलरिंग सम्बन्धी कार्य करने वाले की बर्बरता पूर्ण हत्या करने का विडियो वायरल हो जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति अंत्यन्त तनावपूर्ण हो गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर बहुचर्चित इस वीभत्स हत्याकांड की घट्ना में रात्रि में तथा अगले दिन भी अतिरिक्त निदेशक,आर.एफ.एस.एल.,उदयपुर के मार्ग निर्देशन में मो.फो.यूनिट उदयपुर के द्वारा घट्नास्थल का गहनता से निरीक्षण कार्य किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान एवं सट्ीक रूप से संकलन कार्य करवाये जाने से अग्रिम अनुसंधान में सहायता मिलने के साथ साथ जन मानस में भी सकारात्मक संकेत गया जो पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने में काफी उपयोगी रहा।

19. रेल्वे ट्रेक पर विस्फोट में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटानाः–

पुलिस थाना–जावर माइन्स, जिला–उदयपुर प्रकरण संख्या 181/2022 धारा 150, 151, 285, 3 3(ए), 16, 18 आईपीसी उदयपुर से अहमदाबाद के मध्य नवनिर्मित रेल्वे ब्रोड़गेज मार्ग का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के तेरह दिन बाद उदयपुर से लगभग 30 किमी दूर स्थित 250 फिट् ऊँचे ओड़ा रेल्वे ब्रिज पर विस्फोट् कारित कर रेल मार्ग को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देने की की घट्ना हुई जो देश भर में काफी चर्चित रही। घट्ना अत्यन्त गंभीर प्रकृति की होने से एनएसजी, एनआईए, एटीएस इत्यादि ऐजेंसी अनुसंधान में सम्मिलित हुई। अतिरिक्त निदेशक, आर.एफ.एस.एल.,उदयपुर के नेतृत्व में विशेष टीम ने मौके पर पहुँच कर विस्फोट्क पदार्थ सम्बन्धी पहचान, विस्फोट् कारित करने के तरीके (Modus Operandi), शेष बचे अंश/अवयवों से विस्फोट की घटना़ की वैज्ञानिक व्याख्या सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य लगभग 10 घंटे तक परिश्रम पूर्व कार्य किया। ट्ीम द्वारा दी गई लीड़ से प्रकरण के अनुसंधान में उल्लेखनीय मदद मिली और शीघ्र ही माइनिंग से जुड़े कथित स्थानीय व्यक्तियों की गिरफ्तारी से घट्ना का पट्ाक्षेप भी हुआ।

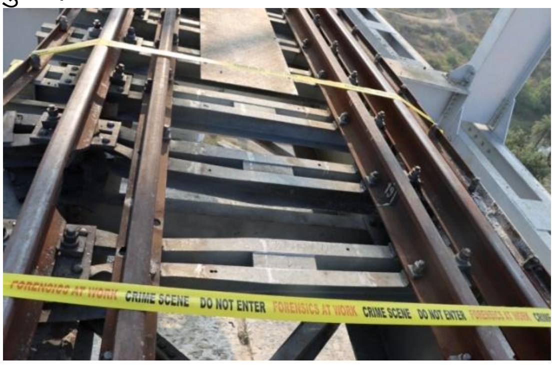

20. घर में चोट माककर हत्या का प्रकरणः–

पुलिस थाना–नगर, जिला–भरतपुर प्रकरण संख्या 152/2022 धारा– 302, 120बी आईपीसी अंतर्गत एक मकान में एक व्यक्ति की हत्या होने की घटना घटित होना बताया गया। व्यक्ति की पत्नि ने अपने प्राथमिक बयान में उसके पति का रात को बाहर जाना एवं बाहर से घायल अवस्था में घर में आना बताया गया। घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात जिस चारपाई पर मृतक का शव मिलना बताया गया उस चारपाई के पास की दीवार पर ब्लड–स्टेन पैटर्न का निरीक्षण करने पर मृतक पर चारपाई पर लेटे होने की अवस्था में ही किसी ब्लण्ट हथियार से कई बार हिट करना पाया गया एवं साथ ही हिट करने के दौरान मृतक द्वारा किसी भी प्रकार के संघर्ष करने के साक्ष्य नहीं पाये गये। जिसके पश्चात मृतक को खाने में बेहोशी/नशीला पदार्थ खिलाने की संभावना होना बताया गया। प्रयोगशाला द्वारा विसरा रिपोर्ट में उक्त तथ्य की पुष्टि होना पाया गया इस तरह अनुसंधान में सहयोग किया गया।

21. संदिग्ध हत्या प्रकरण मे घटना का पुनर्निर्माणः–

पुलिस थाना–महिला थाना जिला बीकानेर के अन्तर्गत मुकदमा नं. 153/22 धारा 304 बी, 323, 498 ए, 34 आई.पी.सी में संदिग्ध हत्या प्रकरण का विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण व पुनर्निर्माण किया गया। मृतका के अनुमानित वजन के आधार पर डमी को दो बार अलग– अलग प्रकार से उसी स्थान से गिराया गया तथा पुनः गणना की गई जिसमें लिगेचर के गांठ की दिशा, वजन सहने की क्षमता, मृतका के हाथ की स्थिति, दरवाजे पर मिले रक्त की उपस्थिति तथा दरवाजे को बाहर से काटे जाने पर हाथ पर चोट के आने की सम्भावना आदि का घटना स्थल पुनर्निर्माण के दौरान अवलोकित तथ्यों तथा मृत्यु उपरांत परीक्षण कार्य करने वाले चिकित्सक तथा अनुंसधान अधिकारी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर विधि विज्ञान दल इस निष्कर्ष पर पहुचने मे सफल रहा कि उपरोक्त प्रकरण में फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है तथा दरवाजे को काटे जाने हेतु उपयोग मे लाये गये कटर द्वारा शव के हाथ पर चोट लगने

की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है।

22. संदिग्ध हत्या प्रकरण में घटनास्थल का पुनःनिरीक्षणः–

पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर के अन्तर्गत मुकदमा नं. 62/22 धारा 498 ए, 302, 201, 34 आई.पी.सी. संदिग्ध हत्या प्रकरण का विशेषज्ञ टीम द्वारा घटनास्थल का पुनःनिरीक्षण किया गया। उक्त घटना क्रम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा इरादतन हत्या का प्रकरण होना बताया गया जबकि विधि विज्ञान दल द्वारा प्रस्तुत किये गये वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यो जैसे कि शव की स्थिति, ब्लड पैटर्न, वाहन के टायर इम्प्रैशन व वाहन पर हुई क्षति इत्यादि के आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुचने मे सफलता प्राप्त हुई कि उक्त घटना क्रम के दुर्घटनावश घटित होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

23. हत्या प्रकरण :–

पुलिस थाना नाल जिला बीकानेर के अन्तर्गत मुकदमा नं. 34/22 धारा 302, 201 आई.पी.सी के क्रम मे घटना क्रम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा शव को हत्या कर स्थानातरित किये जाने की आशंका जताई गई जबकि विधि विज्ञान दल द्वारा प्रस्तुत किये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों जैसे कि ब्लड पूल, दीवार व मटके इत्यादि पर बने ब्लड पैटर्न आदि के आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुचने मे सफलता प्राप्त हुई कि उक्त घटनाक्रम इसी स्थान पर घटित हुआ है।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9414301466 ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. संजय शर्मा अतिरिक्त निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2990161, 7725963161 ई–मेल: addldirector.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. शालू मलिक प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259, 9783309069 ई–मेल: rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133, 9460343351 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. राखी खन्ना अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड, कोटा–324009	0744–2401644, 2400644, 9529791877 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
श्री सुरेंद्र कुमार प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला , 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555, 9269305475 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
श्री राजवीर अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581, 9414249466 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ए–94 रणजीत नगर, भरतपुर–321001	05644–294390, 9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में वर्ष 2022 में स्थापित किये गये प्रमुख उपकरणों की सूची

S. No.	Name of Item	No. of Item	Amount cost (In lacs)
1.	Genetic analyzer with accessories	2	450.00
2.	PCR Machine with double hitting block	4	32.00
3.	PCR Machine with single hitting block	4	32.00
4.	RT-PCR	2	50.00
5.	Automated system for DNA Extraction	2	90.00
6.	Differential Extraction System	2	80.00
7.	Tissue Lyzer	2	24.00
8.	Refrigerated Centrifuge	4	20.00
9.	Plate Centrifuge	2	8.00
10.	Microscope with Accessories	1	18.00
11.	Laminar Flow	4	20.00
12.	Deep Freeze(-20^0)	4	10.00
13.	Thremo Mixer	4	12.00
14.	Concentrator Plus	2	10.00
15.	Amplification Grade Water Purification System	2	30.00
16.	Work station for viscra cutting & processing	1	25.00
17.	UV-VIS. Spectrophotomer	1	10.00
18.	FT-IR with A.T.R.	1	29.75

विशेष पहल एवं वर्ष 2022 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल राजस्थान द्वारा वर्ष 2022 में कुल 42039 प्रकरणों का परीक्षण कार्य निष्पादित किया गया।
2. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों को प्राथमिकता पर परीक्षण किया जा रहा है।
   विशेषतः शून्य से 12 वर्ष तक के अबोध बालक/ बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर परीक्षण कर रिपोर्ट 5 से 15 दिवस में उपलब्ध करायी जा रही है। इन प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु एक विशेष क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है।
3. एफ.एस.एल की डीएनए आदि की परीक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध कराये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2022 में काफी प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषियो को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । इस प्रकार एफ.एस.एल द्वारा अपराधसिद्धि की दर बढाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
   उक्त वर्णित कई प्रकरणों में तो गवाहो के बयान से मुकर जाने के बावजूद एफ.एस.एल रिपोर्ट के वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही दोषियो को सजा सुनाई गई ।
4. वर्ष 2022 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग के अधिकारी संवर्ग का कैडर रिव्यू किया जाकर अतिरिक्त निदेशक के 03 उपनिदेशक के 06 तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 09 नवीन पद सृजित किये गये।

भविष्य की योजना

1. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर में डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ किया जाना है। राज्य विधि विज्ञान की अन्य क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में डी.एन.ए. खण्ड का विस्तार।
2. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना। राज्य विधि विज्ञान की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में साईबर खण्ड का विस्तार।
3. राज्य विधि विज्ञान की समस्त प्रयोगशालाओं में नारकोटिक खण्ड का विस्तार।

झलक–2022

सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एफ.एस.एल निदेशक

न्यायिक अधिकारियो का एफ.एस.एल का विजिट

तत्कालीन डीजीपी (इन्टेलिजेंस) महोदय का एफ.एस.एल. विजिट

साईबर खण्ड का निरीक्षण करते हुए एम.एच.ए. भारत सरकार के प्रतिनिधि

एफ.एस.एल. बिहार के निदेशक राजस्थान की अत्याधुनिक उपकारणों की जानकारी लेते हुए

एफ.एस.एल. राजस्थान के निदेशक के साथ एफ.एस.एल. दिल्ली के निदेशक की विजिट

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
कोटा

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला

जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N

(Not to scale)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

नेहरु नगर, जयपुर–302016

वेबसाईट : www.home.rajasthan.gov.in